

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215292
CG-DL-E-10012020-215292

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2020/पौष 12, 1941

No. 04]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2020/ PAUSHA 12, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

सं. 54/2015-2020

विषय: वर्ष 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4अ और वर्ष 2015-2020 की प्रक्रिया पुस्तक खंड-2 के अंतर्गत मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों (सिओन) के रासायनिक और संबद्ध उत्पादों हेतु सामान्य टिप्पणियों में संशोधनों के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/250/एम-19/पीसी-4.—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार जनहित में प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के परिशिष्ट 4अ और वर्ष 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के खंड-2 के अंतर्गत रासायनिक और संबद्ध उत्पादों हेतु सामान्य टिप्पणियों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

प्रक्रिया पुस्तक के अंतर्गत परिशिष्ट 4अ की मौजूदा क्रम सं. 3 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है—

क्रम सं.	आयात मद (मर्दे)	सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से आयात पूर्व शर्त सहित निर्यात दायित्व अवधि
3	पेनिसिलिन और इसके लवण [आईटीसी (एचएस) कोड सं. 29411010] और 6एपीए-आईटीसी (एचएस) कोड सं. 29411050, यदि अपंजीकृत स्रोत से आयातित हो	12 माह

प्रक्रिया पुस्तक के अंतर्गत परिशिष्ट 4अ की संशोधित क्रम सं. 3 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा—

क्रम सं.	आयात मद (मर्दे)	सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से पूर्व आयात शर्त सहित निर्यात दायित्व अवधि
3	पेनिसिलिन और इसके लवण [आईटीसी (एचएस) कोड सं. 29411010] यदि अपंजीकृत स्रोत से आयातित हो	12 माह

वर्ष 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक खंड 2 के अंतर्गत मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) के रासायनिक और संबद्ध उत्पादों हेतु सामान्य टिप्पणियों के अंतर्गत मौजूदा बिन्दु सं.—15 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:—

“15 अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम के अंतर्गत जहां कहीं भी पेनिसिलिन और इसके लवणों (आईटीसी एचएस कोड सं. 29411010) का आयात या 6 एपीए (आईटीसी एचएस कोड सं. 29411050) का एक निविष्टि के रूप में आयात अनुमत किया जाता है, तो वहां ऐसे प्राधिकार-पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि को आयात पूर्व शर्त सहित प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से 12 माह की अवधि तक सीमित किया जाएगा, यदि आयात अपंजीकृत स्रोत से किया जाता है। इन प्राधिकार-पत्रों में आगे निर्यात दायित्व अवधि में कोई वृद्धि अनुमत नहीं होगी। इसके लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकारी-पत्र में इस आशय का पृष्ठांकन करेगा। यदि आयात औषध एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत स्रोत से किया जाता है तो निर्यात दायित्व अवधि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.22 में यथा-अनुमत सामान्य अवधि होगी।

वर्ष 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक खंड 2 के अंतर्गत मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) के रासायनिक और संबद्ध उत्पादों हेतु सामान्य टिप्पणियों के अंतर्गत संशोधित बिन्दु सं.—15 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“15 अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम के अंतर्गत जहां कहीं भी पेनिसिलिन और इसके लवणों (आईटीसी एचएस कोड सं. 29411010) का एक निविष्टि के रूप में आयात अनुमत किया जाता है, तो वहां ऐसे प्राधिकार-पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि को आयात पूर्व शर्त सहित प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तिथि से 12 माह की अवधि तक सीमित किया जाएगा यदि आयात अपंजीकृत स्रोत से किया जाता है। इन प्राधिकार-पत्रों में आगे निर्यात दायित्व अवधि में कोई वृद्धि अनुमत नहीं होगी। इसके लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकारी-पत्र में इस आशय का पृष्ठांकन करेगा। यदि आयात औषध एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत स्रोत से किया जाता है तो निर्यात दायित्व अवधि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.22 में यथा-अनुमत सामान्य अवधि होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: 6 एपीए- आईटीसी (एचएस) कोड सं. 29411050 को प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4अ से और प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 खंड 2 के तहत मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों (सिओन) के रासायनिक और संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणियों के अंतर्गत बिन्दु सं. 15 से हटा दिया गया है। सार्वजनिक सूचना सं. 62/2016 दिनांक 24.03.2017 को भी इस सीमा तक संशोधित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 2nd January, 2020

No. 54/2015-2020

Subject: Amendments in appendix 4J of Hand Book of Procedures (HBP) of 2015-2020 and in General Notes for Chemical and Allied Products of Standard Input Output Norms (SION) under Hand Book of Procedures Volume 2 of 2015-2020 -reg.

F. No. 01/94/180/250/AM-19/PC-4.—In exercise of powers conferred under para 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Directorate General of Foreign Trade, in public interest, makes the following amendments in Appendix 4J of HBP 2015-2020 and General notes for chemical and allied products under HBP volume 2 of 2015-20 as under:

Current Serial No. 3 of Appendix 4J under HBP reads as under—

Serial No.	Import Item(s)	Export Obligation Period with pre-import condition from the date of clearance of each import consignment by Customs Authority.
3	Pencillin and its salts [ITC (HS) Code No. 29411010] and 6 APA - ITC (HS) Code No. 29411050, if imported from unregistered source	12 months

Revised Serial No. 3 of Appendix 4J under HBP to be read as under:

Serial No.	Import Item(s)	Export Obligation Period with pre-import condition from the date of clearance of each import consignment by Customs Authority.
3	Pencillin and its salts [ITC (HS) Code No. 29411010, if imported from unregistered source	12 months

The current point No. 15 under General Notes for chemical and Allied products of Standard Input Output Norms (SION) under Hand Book of Procedures Volume 2 of 2015-2020 reads as under:

"15. Wherever, import of Penicillin and its salts (ITC HS Code No. 29411010) or import of 6-APA (ITC HS Code No. 29411050) is allowed as an input item under Advance Authorization Scheme, the export obligation period for such Authorisations shall be restricted to 12 months from the date of clearance of each import consignment with pre-import condition if imports are made from unregistered source. No further extension in export obligation period shall be allowed in these Authorisations. The licensing authority shall make an endorsement in the Advance Authorization to this effect. If imports made from registered source as per provisions of Drugs and Cosmetics Act. then the export obligation period shall be normal period as allowed in Para 4.22 of FTP."

The amended point No. 15 under General Notes for chemical and allied products of Standard Input Output Norms (SION) under Hand Book of Procedures Volume 2 of 2015-2020 to be read as under:

"15. Wherever, import of Penicillin and its salts (ITC HS Code No. 29411010) is allowed as an input item under Advance Authorization Scheme, the export obligation period for such Authorisations shall be restricted to 12 months from the date of clearance of each import consignment with pre-import condition, if imports are made from unregistered source. No further extension in export obligation period shall be allowed in these Authorisations. The licensing authority shall make an endorsement in the Advance Authorization to this effect. If imports made from registered source as per provisions of Drugs and Cosmetics Act. then the export obligation period shall be normal period as allowed in Para 4.22 of FTP."

Effect of this Public Notice: 6 APA - ITC (HS) Code No. 29411050, is removed from Appendix 4J of HBP, and from point no. 15 under general notes for Chemical and Allied Products of Standard Input Output Norms (SION) under Hand Book of Procedures Volume 2 of 2015-2020. Public Notice No. 62/2016 dt. 24.03.2017 also stands amended, to that extent.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.